

ज्ञापांक 715 /सी0आर0

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, सिमडेगा ।

दिनांक- 05.08.2007

सेवा में ,

श्री सोहन लाल
सहायक निदेशक, भारत सरकार
अनुसूचित जनजाति आयोग,
छठी मंजिल "बी विंग लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली -110003

प्रसंग:-

भवदीय कार्यालय का पत्रांक- स.आर.खण्ड 5.02/2007
यू.111 दिनांक- 20.6.2007.

विषय:-

अनुसूचित जनजाति की डा0 माधा संतोषी कुजूर की हत्या के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सूचित करना है कि अनुसूचित जन जाति की डा0 माधा संतोषी कुजूर की हत्या के उपरान्त उनके पिता राबर्ट कुजूर पिता- स्व0 अलफोस कुजूर सा0 मुकुन्दा थाना बेड़ो जिला राँची हा0 मो0 प्रशाखा पदाधिकारी उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त डा0 उमेश प्रसाद 2. बालमती देवी के विरुद्ध डा0 संतोषी माधा कुजूर की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ में टांग देने के आरोप में कुरडेग थाना कांड संख्या- 21/2007 दिनांक- 22.05.2007 धारा- 302 भा0 द0वि0 अंकित कराया गया । अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से इस कांड को धारा-302/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. डा0 उमेश प्रसाद जो उनके पति है एवं 2. बालमती देवी के विरुद्ध सत्य पाया गया तथा आरोप पत्र के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण उपरोक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक
सिमडेगा ।

प्रतिलिपि :- 1. वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को उनके ज्ञापांक- 7720/सा0शा0 दिनांक- 16.8.2007 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।

पुलिस अधीक्षक
सिमडेगा ।

7/2007/10/14
7/2007/10/14
7/2007/10/14

=====